

राजस्थान सरकार  
नगर नियोजन विभाग  
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2019 / 2818-43

दिनांक:-

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग द्वारा इस विभाग को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को; राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में; नगर नियोजन विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 14,600/- प्रतिमाह एवम् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्वारा नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	जन्म तिथि	फोटो	पदस्थापन स्थान
1.	607	1941910	श्री प्रदीप कुमार शर्मा	श्री दिनेश कुमार शर्मा	अनारक्षित	22.03.1995		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
2.	669	1774147	श्री जुनेद रजा	श्री अब्दुल जब्बार	अनारक्षित	05.07.1994		कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
3.	4675	2402859	श्री सुरेश कुमार मायला	श्री हीरालाल	पिछड़ा वर्ग	26.04.1993		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
4.	4736	2157475	श्री सुरेश कुमार चौधरी	श्री हनुमान चौधरी	पिछड़ा वर्ग	05.07.1994		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5.	6646	1428849	श्री अनिल कुमार गुर्जर	श्री छोटूलाल गुर्जर	अति पिछड़ा वर्ग	05.07.1997		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6.	7443	1361941	श्री अवधेश कुमार मीना	श्री अनिल कुमार मीना	अनुसूचित जनजाति	13.09.1990		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
7.	8324	2365148	श्री त्रिलोक सिंह बैरवा	श्री हरि मोहन सिंह	अनुसूचित जाति	01.09.1994		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

E:\2020\_ADM\Appl\I.DC.2020\Orders.doc

1




कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

MPBX No. 2560838, 2560963

Fax No. 0141-2563702, 2560985

Office e-mail : crp-n@nic.in

Website : www.crp.rajasthan.gov.in

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	जन्म तिथि	फोटो	पदस्थापन स्थान
8.	10526	1811602	श्री राज बहादुर बागड़ी	श्री कैलाश बागड़ी	अनुसूचित जाति	19.11.1984		कार्यालय वरिष्ठ नगर निवाजक, उदयपुर जोन, उदयपुर
9.	11299	1947698	श्री रामधन मीणा	श्री जगदीश नारायण मीणा	अनुसूचित जनजाति	12.08.1996		कार्यालय वरिष्ठ नगर निवाजक, अजमेर जोन, अजमेर
10.	11360	1933514	श्री राहुल कुमार दोचानिया	श्री सतीश चन्द्र दोचानिया	अनुसूचित जाति	01.07.1991		कार्यालय वरिष्ठ नगर निवाजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

1. प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्रसु/अनु-3/2020 पार्ट दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप; चयनित अभ्यर्थियों की In-Person Counseling किये जाने के पश्चात् प्रथम नियुक्ति का जिला आवंटन किया गया है।
2. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों तथा कार्मिक/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. परीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-5 में किया जायेगा, एवम् उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
7. इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उनके मेरिट क्रम के अनुसार रहेगी।
8. परीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाम देय होंगे।
10. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
11. क्रम संख्या 02, 03 व 09 पर अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण के समय पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

EPBX No. 2560838, 2560963

Fax No. 0141-2563702, 2560985

Office e-mail : crp-ri@nic.in

Website : www.crp.rajasthan.gov.in

12. उपरोक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी; परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवम् राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल. पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
13. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, उनके पदस्थापन स्थान पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

*28/05/2020*

(आर.के. विजयवर्गीय)  
मुख्य नगर नियोजक  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.13.2019/ *2818-43.*

दिनांक:- *28 MAY 2020*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(1)प्र.सु./अनु.3/2020 दिनांक 16.05.2020 के क्रम में।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, जेडएसपी, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
5. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
7. सम्बन्धित श्री
8. निजी पत्रावली संधारण लिपिक।
9. रक्षित पत्रावली।

*28/05/2020*

(सुभाष चन्द्र शर्मा)  
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)  
राजस्थान, जयपुर।

20